

25-117 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वास्ते जवाब पत्र दि 6-11-17 को पेश है।

3

6-11-17 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उग्र री शैल
की ओर से जवाब T.I पत्र डेडा वास्ते
वस्तु वस्तु T.I. पत्रावली दि 02-11-17 को
पेश है।

3

29-11-17 पत्रावली पेश हुई/वकील दावे/प्रतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पोंडेंट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष
उपस्थित है/उपस्थित है। श्रीमान् कीर्तसीन
अधिवक्ता भ्रमण पर उकाश पर है/अन्य
कारणों में व्यस्त है।/प्राप्त हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17-11-18.....
को पेश हो।

Wt
रीडर

17-11-18 वकील उभयपक्ष उग्र री शैल
की ओर से जवाब T.I पत्र डेडा वास्ते
वस्तु वस्तु T.I. पत्रावली दि 30-11-18 को
पेश है।

3

30-11-18 वकील उभयपक्ष उपस्थित ना होकर वकील प्रार्थी
ही उपस्थित है। कई बार आवाज दिलाने पर
भी अप्रार्थी वकील उपस्थित नहीं हुए। अतः
T.I. प्रा० पत्र पर वकील प्रार्थी की सन्तुष्टीय
बदस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने T.I.
प्रा० पत्र के अनुरूप बदस करते हुए अप्रार्थीगण
को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन
किया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख
फोटोकॉपी नकल जमाबंदी सं० 2031 से 2034,
फोटोकॉपी नकल स्वतंत्र जमाबंदी, फोटोकॉपी नकल
जमाबंदी सं० 2069-72, फोटोकॉपी नकल मिलान
शेखफल, फोटोकॉपी नकल नक्शा ट्रेस का अवलोकन

नम्बर
अहक
हुकम
में


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

जवाब पत्र

किया। प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से वादग्रस्त
भूमि में प्राथमिक का दित न्युनित होना प्रतीत होता
है ऐसी स्थिति में हम वादग्रस्त भूमि की
नैका व रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखना
उचित समझते हैं।

अतः प्राथमिक द्वारा प्रस्तुत अस्थाई
निषेधाज्ञा प्राप्य आंशिक रूप से स्वीकार
किया जाकर वादग्रस्त भूमि ख० नं० 1156
हाल ख० नं० 322 रकबा 0.28 है, ख० नं०
1156 हाल नम्बर 323, ख० नं० 1155
हाल नम्बर 321 में रकबा 0.20 है जानिक
दिशा पश्चिम ग्राम नारायणपुर की रिकार्ड व
मौके की ताफैसला दावा यथास्थिति बनाए
रखने हेतु अप्राथमिक को जरिअ अस्थाई
निषेधाज्ञा पारक किया जाता है। पत्रावली
फैसल नम्बर होकर नम्बर से कम हो एवं वाद
तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।


महेंद्र लाल जाट
रूप जिला कलेक्टर
गंगापुर् सिटी (स०ना०)

29/06/2020
डिप्ट।
117 को

को)
वाफ्त
को

ल प्राथ
पर
अतः
मिय
गण
वेदन